फर्द अहकाम

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

**मदनसिंह बनाम राज0 सरकार**

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–75/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 281, 276, 322, 964/324 वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि अन्य खातेदारान आये दिन खेत के सीमाचिन्हो को नष्ट कर सीमा को खुर्द बुर्द करते रहते है जिससे आए दिन झगडे फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी उप तहसीलदार सिकन्दरा के आदेश से दिनांक 08.02.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त सीमाज्ञान के दौरान अंकित किए गए चिन्हों पर पत्थरगढी कायम की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका हैं। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। भूमि खसरा नम्बर 281 सहखातेदारी की भूमि है जिसके सभी खातेदार पक्षकार नहीं है इसलिए उक्त नम्बर की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नहीं है। शेष भूमि के संबंध में पत्रावली एवं जवाब स्टेट के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर खसरा नम्बर 276, 322, 964/324 वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है तहसीलदार सिकराय उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। तथा खसरा नम्बर 281 की पत्थरगढी की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो।<br>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला दौसा | |